उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

मक्सी रोड़, पोस्ट बॉक्स 106, उज्जैन 456010 (म.प्र.)

तरल नत्रजन परिवहन कार्य हेतु तृतीय ई–निविदा

क्रमांक/उ.दु.सं./क्षे.सं./परिवहन ई–निविदा/2023/4888/13.12.2023

ई–निविदा ऑनलाईन वेब साईड http:/www.mptenders.gov.in के माध्यम से आमंत्रित की जाती है।

निविदा संबंधि विस्तृत शर्ते एवं अन्य जानकारी हेतु www.sanchidairy.com पर लॉगआन करें।

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

मक्सी रोड़, पोस्ट बॉक्स 106, उज्जैन – 456010 (म.प्र.)

E-mail : ujjaindairy@gmail.com, udsfo123@gmail.com

दूरभाष नम्बर – 0734–2527066

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,

मक्सी रोड़ उज्जैन 456010 (म.प्र.)

फोन नं. (0734) 2527061, 2527068, 2527066

फेक्स नं. 0734–2527063

E-Mail: ujjaindairy@gmail.com, udsfo123@gmail.com

क्रमांक / उ.दु.सं. / क्षे.सं. / परिवहन ई–निविदा / 2023 / 4888 / 13.12.2023

तृतीय ई–निविदा सूचना

तरल नत्रजन परिवहन कार्य हेतु वर्ष 2023–26 के लिये ई–निविदा आमंत्रित की जाती है।

1.	निविदा कार्य– तरल नत्रजन परिवहन कार्य अवधि 01.02.2024 से 31.01.2027	
2.	ई–निविदा प्रपत्र का क्रय मूल्य	राशि रू. 500 / – (अक्षरी रू. पॉच सौ मात्र)
3.	अमानत राशि	राशि रू. 10000.00 (दस हजार रू.) ऑनलाईन ईएमडी जमा करना अनिवार्य होगी।
4.	ई–निविदा प्रपत्र ऑनलाईन विक्रय प्रारंभ दिनांक एवं समय	दिनांक 14.12.2023 प्रातः 11:00 बजे से
5.	ई–निविदा प्रपत्र ऑनलाईन क्रय एवं अपलोड करने की अंतिम दिनांक एवं समय	दिनांक 04.01.2024 दोपहर 12:00 बजे तक
6.	तकनोकी बीड ऑनलाईन रूप से खोलने की दिनांक एवं समय	दिनांक 05.01.2024 दोपहरः 1:00 बजे
7.	निविदा खोलने का स्थान	कार्यालय उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मक्सी रोड़ उज्जैन– 456010 (म.प्र.)

नोट :–

1. ई– निविदा ऑनलाईन वेब साईड **http:/www.mptenders.gov.in के माध्यम से आमंत्रित की जाती है।**
2. निविदा संबंधि विस्तृत शर्ते एवं अन्य जानकारी हेतु **www.sanchidairy.com** पर लॉगआन करें।
3. जिन वाहन स्वामी के पास वाहन मॉडल 2020 या बाद के है वे वाहन स्वामी निविदा में भाग ले सकते है, साथ ही वाहन ठेकेदारों के पास वर्तमान में वाहन उपलब्ध नहीं वे वाहन क्रय करने का नोटरी से 100 रू. के मूल शपथ पत्र निविदा के साथ ऑनालाईन अपलोड करें।
4. समस्त निविदाऐं या किसी एक निविदा को निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा। निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन या शुद्धि किये जाने पर वेबसाईट में ही परिवर्तन किया जायेगा अन्य किसी माध्यम में नहीं, अतः नियमित रूप से एमपीसीडीएफ की वेबसाईट www.sanchidairy.com पर देखे।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मक्सी रोड़ उज्जैन

तरल नत्रजन परिवहन निविदा प्रस्तुत करने बाबत् नियम एवं शर्ते

1. उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, द्वारा तरल नत्रजन दग्ध संयंत्र/शीत केन्द्र से सम्बद्व दुग्ध समितिया तक परिवहन हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है।

2. (अ) निविदा के साथ रूपये 10000/– (रू. दस हजार मात्र) ऑन लाईन जमा करना होग।

   (ब) सफल निविदाकार को सुरक्षा निधि राशि रू. 90000.00 दुग्ध संघ में जमा करनी होगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। सुरक्षा निधि बाबत् अन्य कोई भी प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जावेगा। अर्नेस्टमनी रूपये 10000/– की मूल रसीद स्केन कर निविदा प्रपत्र के साथ ऑनलाईन अपलोड करना होगी, अन्यथा निविदा निरस्त की जावेगी।

3. बिना हस्ताक्षर अथवा अपूर्ण जानकारी वाली निविदाओं को निविदा प्रक्रिया से बाहर रखा जावेगा।

4. निविदा प्रस्तुत करने के दिनांक को ऐसे निविदाकार जिनके पास स्वयं के नाम का आर.टी.ओ. द्वारा पंजीकृत लोडिंग वाहन हो अथवा ऐसे निविदाकार जो वर्ष 2020 अथवा नवीनतम वर्ष का वाहन उपलब्ध करा सके, वे निविदा भरने के पात्र होगें। वाहन होने को दशा में निविदाकार द्वारा स्वयं की मिलकीयत दर्शाने के लिए कोई इकरारनामा/शपथ पत्र/रसीद अथवा कोई अधिकार पत्र मान्य नहीं किया जावेगा। केवल आर.टी.ओ. द्वारा जारी हस्तांतरण संम्बधी दस्तावेज ही पंजीकृत वाहन की मिलकीयत के लिए मान्य होगा। नवोन वाहन हेतु रूपये 100/– के स्टाम्प पेपर पर वाहन उपलब्ध कराने का नोटराईज्ड निर्धारित शपथ पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं ऑनलाईन जमा ईएमडी रसीद प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।

5. वाहन ठेकेदार को कार्यादेश देने के पूर्व पत्र जारी करने की दिनांक से 10 दिवस में औपचारिकताऐं पूर्ण करना होगा, तदपश्चात् कार्यादेश जारी किया जावेगा।

   1. निविदा प्रपत्र में दर्शाइ गयी जानकारी अनुसार पिकअप या समकक्ष लोडिंग वाहन (1.2 से 1.5 टन तक क्षमता) मॉडल वर्ष 2020 या उसके बाद का होना आवश्यक है। इस हेतु वाहन का पंजीयन, बीमा, फिटनेस सर्टिफिकेट, प्रदूषण जांच रिपोर्ट, की स्व प्रमाणित प्रति जो कि शीत केन्द्र प्रबंधक/प्रभारी प्रबंधक (क्षे.सं.) से मूल प्रति देखकर सत्यापित हो।

   2. कार्य आरम्भ करने हेतु सफल निविदाकार निर्धारित अनुबंध पत्र में रू. 1000/– के नॉनज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर कार्य आदेश जारी करने की दिनांक से 10 दिवस में अनुबंध निष्पादित करना सुनिश्चित् करेंगे।

3. अनुबंध पत्र की कण्डिका 20 एवं 22 अनुसार शपथ पत्र रूपये 100/– के नॉनज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर अलग–अलग प्रस्तुत करना सुनिश्चित् करें।

   उपरोक्त औपचारिकताऐं निर्धारित अवधि में पूर्ण न करने पर दुग्ध संघ द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुऐ अमानत राशि जब्त कर निविदा निरस्त की जावेगी, जिसकी संम्पूर्ण जानकारी, डिफाल्टर निविदाकार को होगी।

6. निविदा में दो या दो से अधिक पात्र निविदाकारों द्वारा समान दरें प्रस्तुत की जाती ह तो लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाकर, आवंटन आदेश जारी किया जाएगा। नवीनतम मॉडल को प्राथमिकता दी जावेगी।
7. निविदाकार के पास स्वयं के नाम पर पंजीकृत होने पर लोडिंग वाहन का पंजीयन, बीमा, पेन कार्ड, फिटनेस, एवं ऑन लाईन जमा ईएमडी की रसीद, प्रदूषण जॉच रिपोर्ट एवं अन्य समस्त वैध दस्तावेज की सत्यापित प्रति निविदा पत्र के साथ ऑनलाईन अपलोड करना होगी। उपरोक्त प्रमाण पत्रों के अभाव में निविदाकार को निविदा में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।
8. परिवहन कार्य हेतु वाहनों के ईधन, कर्मचारियों पर व्यय, टोल टेक्स एवं अन्य सभी प्रकार के कर/खर्च परिवहनकर्ता को वहन करने होगें एवं निविदाकारों द्वारा LN2 वाहन संचालन में लगने वाले सभी व्यय/कर का समावेश कर केवल प्रतिकिलोमीटर वाहन की दर ऑनलाईन प्रस्तुत की जाना होगी।
9. निविदा में निर्धारित मार्ग में दूरी की कमी/वृद्धि की जा सकगी, जिसका भुगतान स्वीकृत दर के अनुसार घटी/बढ़ी दूरी के अनुपात में कम/अधिक भुगतान किया जावेगा।
10. निविदा में सम्मिलित निविदाकारों में से प्रथम न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार की अमानत राशि को रोककर शेष निविदाकारों की अमानत राशि ई–निविदा पोर्टल से अर्नेस्टमनी वापिस हो जावेगी। प्रथम न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार द्वारा सेवा प्रदाय की स्थिति में द्वितीय निविदाकार की अमानत राशि 30 दिवस में वापिस की जावेगी।
11. निविदाकार द्वारा निविदा प्रस्तुत करने से यह माना जावेगा कि निविदा प्रस्तुत करने के लिए दी गयी निविदा की शर्ते/अनुबंध आदि का अवलोकन निविदाकार द्वारा कर लिया गया है, तथा परिवहन हेतु निर्धारित मार्ग की जानकारी से स्वयं को अवगत करा लिया गया है तथा उसे स्वीकृत है।
12. किसी फर्म द्वारा निविदा प्रस्तुत करने की स्थिति में उस पर सभी भागीदारों के हस्ताक्षर आवश्यक होना चाहिए या किसी भागीदार की अनुपस्थिति में उसकी ओर से प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर अवश्य होना चाहिए, जिसके पास ऐसा करने के लिए मुख्त्यारनामा है। इस प्रकार संबंधित प्रतिनिधि भारतीय भागीदार अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए। साथ में पंजीकृत पार्टनरशिप डीड पत्र ऑनलाईन अपलोड करना होगा।
13. निविदा समिति के द्वारा की गई अनुशंसाओं को मान्य/अमान्य करने का पूर्ण अधिकार सक्षम अधिकारी को रहेगा। सक्षम अधिकारी यदि चाहे तो किसी भी समय सकारण निविदाऐं निरस्त करके पुनः आमंत्रित करने अथवा नस्तीबद्ध करने का निर्णय लेने में सक्षम होगा।
14. निविदा स्वीकृत होने पर निविदाकर्ता को अनुबंध तथा प्रतिभूति की राशि के साथ दुग्ध संघ की नाम मात्र की सदस्यता प्राप्त करने हेतु रूपये 100/– का एक अंश प्रतिवर्ष अनिवार्य रूप से क्रय करना होगा। ऐसे सदस्य संस्था के प्रबंधन मतदान तथा लाभ के

वितरण में भाग नहीं ले सकेगें। संघ के साथ व्यापारिक संम्बध बने रहने तक वे नाम मात्र के सदस्य बने रहेगें।

15. प्राप्त ई–निविदाओं में तरल नत्रजन परिवहन हेतु तीन निविदाऐं प्राप्त होगी एवं पूर्व स्वीकृत दर (विगत अनुबंधित दर) से 10 प्रतिशत से अधिक पाई जावेगी, तो निविदाकर्ताओं से समझौतावार्ता के आधार पर निर्धारित दरों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार नियमानुसार होगा।
16. तृतीय निविदा मे प्राप्त न्यूनतम दर, गतवर्ष की अनुमोदित दरों के बराबर अथवा कम है, तब न्यूनतम 3 निविदा का बंधन नहीं रहेगा।
17. निविदाकार निविदा में उल्लेखित शर्तो के अधीन अपेक्षित सेवाएं प्रदान नहीं करता है तो दुग्ध संघ द्वारा आदेश निरस्त किया जाकर, निविदाकर्ता को एक वर्ष हेतु काली सूची में डाला जावेगा तथा निविदा की प्रतिभूति राशि एवं सुरक्षा निधि राजसात की जावेगी।
18. निविदाकार द्वारा यदि निविदा में काई अन्य शर्त लगायी जाती है तो ऐसी सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
19. नियमानुसार आयकर एवं अधिभार राशि की कटौती बिल में से की जावेगी यदि निविदाकार की कर योग्य सकल आय कर निर्धारण सीमा से कम हो तो उसे आयकर अधिकारी से आयकर का कटौत्रा न करने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
20. संघ के कार्यरत अधकारियों / कर्मचारियों अथवा संचालक मण्डल के सदस्यों में द्वितीय पक्ष का कोई निकट का रिश्तेदार पति, पत्नि, पुत्री सगे भाई बन्धु नहीं है यह तथ्य द्वितीय पक्ष शपथ पत्र पर प्रस्तुत करेगा। अगर जॉच के दौरान उपरोक्त कथन असत्य पाया गया तो प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि वह यह अनुबंध निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त कर लें।
21. अ) भविष्य निधि अधिनियम तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत वाहन ठेकेदार द्वारा वाहन पर यदि कर्मचारियों की नियुक्ति की जावेगी अथवा कर्मचारियों से वाहन पर कार्य लिया जावेगा तो उन कर्मचरियों की भविष्य निधि अधिनियम / कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधान अनुासर वाहन ठेकेदार को संबधित विभाग से कोड नंबर प्राप्त कर प्रावधान के अनुसार नियमित अंशदान जमा करना अनिवार्य होगा। जमा न करने की दशा में प्रबंधन को यह अधिकार होगा कि अंशदान की राशि वाहन ठेकेदार के देयको / प्रतिभूति से वसूल की जावेगी। जिसकी पूर्ण जवाबदारी वाहन ठेकेदार की होगी। इस प्रकार श्रम अधिनियमों के अंतर्गत समस्त श्रम अधिनियमों के नियमों का पालन करने का दायित्व वाहन ठेकेदर का होगा। वाहन ठेकेदार को वाहन पर चलने वाले कर्मचारियों का पुलिस प्रमाणीकरण कराकर प्रस्तुत करना होगा।

    ब) वाहन ठेकेदार को वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों का पहचान पत्र बनवाना आवश्यक होगा, साथ ही दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित गणवेश पहनना अनिवार्य होगा। गणवेश का व्यय वाहन ठेकेदार द्वारा वहन किया जावेगा।
22. किसी भी निविदाकर्ता को निविदा मे भाग लेने के पूर्व किसी भी दुग्ध संघ / शासकीय / अर्द्धशासकीय संस्था द्वारा काली सूची में डाला गया हो तो वह निविदा हेतु अपात्र रहेगा। जानकारी प्राप्त होने पर किसी भी समय उसकी निविदा निरस्त की जा सकेगी। निविदा स्वीकृत होने के बाद भी जानकारी में आता है कि निविदाकार निविदा स्वीकृति के पूर्व किसी भी दुग्ध संघ या शासकीय संस्थान की काली सूची में दर्ज है तो ऐसी स्थिति में सफल निविदाकार की स्वीकृति निरस्त कर अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी।

23. वर्णित कार्य के लिए उज्जैन से इन्दौर, मंदसौर, रतलाम, शाजापुर, शामगढ़, मनासा आदि ग्रामीण स्थानो पर वाहन को जाना पड़ेगा। माह में लगभग 5 दिवस रूकने के दौरान रात्रि विश्राम करना पड़ेगा। इस हेतु पृथक से किसी प्रकार का भत्ता/व्यय देय नहीं होगा।
24. वाहन ठेकेदार को वाहन अनुबंध प्रारंभ होने के 15 दिवस के अंदर दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित प्रारूप मे दुग्ध संघ के सन्तुलित पशुआहार सुदाना, सांची दूध एवं दुग्ध पदार्थ का विज्ञापन अनुबंधित वाहन पर लिखवाना होगा, जिसका संपूर्ण व्यय वाहन ठेकेदार द्वारा स्वयं वहन किया जावेगा।
25. LN2 परिवहन के अनुबंधित वाहन पर पीछे हुड पर अनुबंध अवधि में त्रिपाल आवश्यक रूप से लगानी होगी, अन्यथा अनुबंध की शर्तों के अनुरूप आर्थिक दण्ड लिया जावेगा एवं इससे होने वाली अन्य हानियों का कटोत्रा भी किया जावेगा।
26. तरल नत्रजन परिवहन कार्य हेतु मात्र डीजल चलित वाहन ही ई–निविदा में स्वीकार किये जायेगे। तरल नत्रजन परिवहन कार्य हेतु अन्य ईधन के वाहन की ई–निविदा अमान्य कर, संबंधित ई–निविदा निरस्त की जावेगी।
27. स्वीकृत दर अनुबंध समाप्ति तक मान्य रहेगी, लेकिन अनुबंध अवधि में यदि डीजल दरों में कमी या वृद्धि होती है तो दर वृद्धि या कमी की प्रति कि.मी. गणना निम्नानुसार की जावेगी –

क्रमांक	**वाहन भार क्षमता**	**औसत प्रति कि.मी.**
1	1.2 से 1.5 टन तक भार क्षमता का वाहन	15 कि.मी.

28. LN2 वाहन को समय सारणी अनुसार संचालित करना होगा। पालन न करने की स्थिति में रू. 1000/– अर्थदण्ड प्रति दिवस किया जावेगा।
29. किसी भी निविदा को आंशिक/पूर्ण रूप से स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा, एवं यह अंतिम होकर सभी को मान्य होगा।
30. द्वितीय पक्ष तथा प्रथम पक्ष के मध्य विवाद की स्थिति निर्मित होने पर प्रबंध संचालक एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सेकेगी।
31. विवाद होने की स्थिति में समस्त न्यायालयीन कार्यवाही का कार्यक्षेत्र उज्जैन रहेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन

निविदाकार का पासपोर्ट साईज का

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन एवं तरल नत्रजन परिवहन निविदाकार के मध्य किये जाने वाला अनुबंध

1000/— रू. के नानज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध किया जाए।

//अनुबंध पत्र //

यह अनुबंध पत्र आज दिनांक .... को निष्पादित किया गया जिसका प्रथम पक्ष (मुख्य कार्यपालन अधिकारी) उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्या. उज्जैन अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी है। एवं द्वितीय पक्षकार (निविदाकार) श्री/श्रीमती .... निवासी .... एवं उत्तराधिकारी श्री/श्रीमती .... से है उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्या. उज्जैन द्वारा गठित सहकारी समितियों को तरल नत्रजन, फ्रोजन सीमन, दवाएं, चिकित्सा एवं कृत्रिम गर्भाधान सामग्री पहुचाने एवं नत्रजन प्रदेश के बाहर से परिवहन कर लान वास्ते प्रथम पक्षकार (उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन) को वाहन का पंजीयन क्रमांक .... हेतु द्वितीय पक्षकार द्वारा निर्धारित समय पर वाहन परिवहन हेतु आवदन किया है और प्रथम पक्षकार द्वारा इसमें आगे लिखे गये निबंधनों एवं शर्तों पर द्वितीय पक्षकार स आवेदन परिवहन दर रूपये .... अक्षरी रूपये .... प्रति कि.मी. पर अग्रलिखित समस्त शर्तों के अनुसार अनुबंध किया जाता है।

अनुबंधकर्ता को अनुबंध पत्र पर स्वयं के पासपोर्ट साईज का फोटो सहित, नोटरी करवाकर प्रस्तुत करना होगा। अनुबंध की शर्तें उभय पक्षों को मान्य होगी। LN2 परिवहन मार्गों पर भविष्य में यदि टोल टेक्स प्रारंभ होता है तो टोल टेक्स की वास्तविक रसीदों की प्राप्ती पर दुग्ध संघ द्वारा अतिरिक्त भुगतान देयकों के साथ किया जावेगा।

1. अ) यह ठेका अवधि दिनांक 01.02.2024 से दिनांक 31.01.2027 तक प्रभावशील रहेगी।
   ब) निविदा अवधि 3 वर्ष होगी। उक्त निविदा अवधि पूर्ण होने एवं कार्य संतोषप्रद होने एवं वाहनों की स्थिति संतोषजनक पाये जाने पर अधिकृत समिति की अनुशंसा पश्चात एक—एक वर्ष करके अनुबंध अवधि में अतिरिक्त दो वर्ष तक की वृद्धि पूव में अनुमोदित दरों एवं शर्तों पर की जावेगी।
2. इन शर्तों को तरल नत्रजन परिवहन ठेके की शर्ते कहा जावेगा। शर्तों म जहा—जहा संघ शब्द आएगा, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन शीतकेन्द्र का तात्पर्य उज्जैन, शाजापुर, आगर, मंदसौर, मनासा, शामगढ तथा रतलाम, समिति का तात्पर्य दुग्ध सहकारी समिति/कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र से होगा एवं ठेकेदार से तात्पर्य वाहन मालिक होगा।
3. दूसरी मंजील में तरल नत्रजन पात्र लाने हेतु पटियों का पार्टीशन करना होगा। किसी भी स्थिति में पात्र के उपर पात्र रखने की अनुमति नहीं दी जावेगी। पार्टीशन व्यवस्था वाहन ठेकेदार को स्वयं के खर्च पर करना होगी।
4. तरल नत्रजन पात्र की आवश्यक सुरक्षा हेतु वाहन में रबर मेटिंग एवं त्रिपाल लगाना आवश्यक है, साथ ही यदि वाहन में लापरवाही के कारण तरल नत्रजन पात्र खराब होते है तो इस हानि का दायित्व ठेकेदार का होगा।

5. दुग्ध संघ 3000 कि.मी. औसत निर्धारित दूरी प्रतिमाह दिये जाने के आधार पर अनुबन्ध करता है। यह औसत दूरी पूरा करने में वाहन का उपयोग तरल नत्रजन क्रय, वितरण एवं

दुग्ध संघ के अन्य परिवहन कार्य जैसे पशु आहार, घी, दुग्ध संकलन परिवहन, दुग्ध संग्रहण एवं जांच उपकरण संघ से संबंधित दुग्ध शीत केन्द्रों को भेजना एवं वाहन से दौरा आदि का कार्य भी लिया जा सकेगा।
6. दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र एवं कार्यक्षेत्र के बाहर यदि दुग्ध संघ कार्य हेतु वाहन जाता है तो टोल टैक्स एवं परमिट व्यय आदि किसी प्रकार का पृथक व्यय दुग्ध संघ द्वारा भुगतान नहीं किया जावेगा।
7. प्राकृतिक प्रकोप एवं मानवीय कृत्यों से परे जैसे कारणों को छोडकर वाहन के समय पर न आने या अनुपस्थित रहने अथवा आदेश की अवहेलना करने की दशा में वाहन के बदले अन्य वाहन लगाया जाता है तो लगाये गये वाहन की अंतर राशि एवं आर्थिक दण्ड जो कि कम से कम रूपये 500.00 ठेकेदार से वसूल किये जावेगा।
8. LN2 वाहन को समय सारणी अनुसार संचालित करना होगा। पालन न करने की स्थिति में रू. 1000/– अर्थदण्ड प्रति दिवस किया जावेगा।
9. दुर्घटना या अन्य परिस्थितियों में ठके के अंतर्गत कार्यरत वाहन या उसमें परिवहन की जाने वाली सामग्री अगर पुलिस द्वारा जप्त की जाती है, तथा तरल नत्रजन पात्र को नुकसान होता है तो ऐसी स्थिति में होने वाले नुकसान की पूर्ण जवाबदारी ठेकेदार की रहेगी एवं क्षति की राशि ठेकेदार के देयक से वसूल की जावेगी।
10. वाहन हेतु डीजल व्यवस्था का उत्तरदायित्व पूर्णतः ठेकेदार का रहेगा। यदि डिजल के अभाव में कार्य नहीं किया जाता या वाहन देरी से भेजा जाता है तो इससे समिति/संघ को होने वाली हानि की पूर्ति ठेकेदार के परिवहन देयक से वसूल की जावेगी।
11. ठेकेदार द्वारा वाहन पर जो कर्मचारी नियुक्त किये जावेगा, वे दुग्ध संघ के निर्देशानुसार कार्य करेंगे। इनके द्वारा लापरवाही या अभ्रद व्यवहार करने की दशा में दुग्ध संघ के आदेशानुसार उनके विरूद्ध कार्यवाही ठेकेदार को करनी होगी।
12. यदि ठेकेदार या ठेकेदार के प्रतिनिधि अथवा वाहन कर्मचारियों द्वारा दुग्ध संघ के संचालक मण्डल के सदस्यों/संघ अधिकारियों/कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार किया जाता है तो दुग्ध संघ को यह अधिकार होगा कि वह ठेकेदार से आर्थिक दण्ड वसूल कर अनुबंध निरस्त कर सकें।
13. ठेकेदार द्वारा अनुबंध की शर्तों का निरन्तर उल्लंघन करने या असंतोषजनक कार्य करते रहने या अनुबंध अवधि के पूर्व अनुबंध हस्तांतरण न करते हुए वाहन बंद करने अथवा दुग्ध संघ द्वारा आदेशित निर्देशों का पालन न करने की दशा में दुग्ध संघ को अधिकार रहेगा कि वह इस अनुबंध को निरस्त कर प्रतिभूति की राशि जप्त कर लें। इसके अतिरिक्त यदि इस कारण दुग्ध संघ को कोई हानि होती है तो वह भी ठेकेदार के देयक से वसूल की जा सकेगी।
14. वाहन पर सदैव त्रिपाल एवं वाहन के सभी बल्ब चालू हालत में रहेग।
15. वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों के विरूद्ध सहकारी/सरकारी कानून अनुसार की जाने वाली कार्यवाही की जवाबदारी ठेकेदार की रहेगी एवं यदि इस कारण से संघ/संस्थाओं को कोई हानि होगी तो वह ठेकेदार के परिवहन देयक से काटी जा सकेगी।

16. ठेकेदार द्वारा हडताल या कार्य बंद में भाग नहीं लिया जावेगा। ऐसा करने पर समस्त हानि एवं आर्थिक दण्ड ठेकेदार के देयक से वसूल किया जा सकेगा। साथ ही दुग्ध संघ को अधिकार होगा कि इस कारण से ठेकेदार से अनुबंध निरस्त कर दें एवं प्रतिभूति राशि राजसात कर लेवें।
17. वाहन का स्पीडो मीटर एवं सेल्फ स्टार्टर हमेशा चालू रहेगा। यदि खराब हो जाता है तो 24 घण्टे में सुधरवाने का दायित्व ठेकेदार का होगा। स्पीडो मीटर में त्रुटि पाये जाने पर हानि एवं दण्ड की वसूली ठेकेदार के देयक से की जा सकेगी।
18. इस अनुबंध के अंतर्गत यदि कोई राशि ठेकेदार से संघ या समितियों की निकलेगी तो संघ को ठेकेदार की चल/अचल संपत्ति से यह राशि वसुल करने का अधिकार होगा। इस प्रकार से की जाने वाली वसूलो हेतु यदि कोई अतिरिक्त व्यय होता है तो इसके लिए भी ठेकेदार जिम्मेदार रहेगा।
19. परिस्थिति वश अथवा आवश्यकता होने पर संघ को यह अधिकार होगा कि, वह इस अनुबंध में यदि कोई नई शर्तों को और सम्मिलित करना चाहे तो ऐसी शर्तें पर परस्पर चर्चा कर निर्णय लिया जावेगा, जो ठेकेदार को मान्य होगा।
20. मैं अपना वारिस श्री .... संबंध .... उम्र .... ' को पूर्ण होशोहवास में नामांकित घोषित करता हूॅ। मेरी मृत्यु या मेरी पूर्ण अपंगता/ में श्री .... को दुग्ध संघ से समस्त व्यवहार करने का अधिकार रहेगा।
21. द्वितीय पक्ष तथा प्रथम पक्ष के मध्य विवाद की स्थिति निर्मित होने पर प्रबंध संचालक एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
22. संघ के कार्यरत अधकारियों/कर्मचारियों अथवा संचालक मण्डल के सदस्यों में द्वितीय पक्ष का कोई निकट का रिश्तेदार पति, पत्नि, पुत्री सगे भाई बन्धु नहीं है यह तथ्य द्वितीय पक्ष शपथ पत्र पर प्रस्तुत करेगा। अगर जॉच के दौरान उपरोक्त कथन असत्य पाया गया तो प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि वह यह अनुबंध निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त कर लें।
23. ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के परिचय पत्र मय फोटो के ठेकेदार उपलब्ध करायेगा, जो हर समय गाड़ी के साथ रहेंगे। वाहन के साथ एक चालक व उसका एक सहायक रहेगा।
24. स्थानीय शासन, मध्य प्रदेश शासन अथवा भारत शासन द्वारा जो की कर लागू किये जावेंगे, वह ठेकेदार के बिलो से काट लिये जावे तथा राशि को शासकीय कोषालय में जमा कर दिया जावें। उसका प्रमाण–पत्र दुग्ध संघ द्वारा ठेकेदार को दिया जावेगा।
25. परिवहन देयकों के भुगतान हेतु 1 से 15 तारीख तक का देयक ठेकेदार द्वारा 20 तारीख तक तथा 16 से 31 तारीख तक का देयक 5 तारीख तक दुग्ध संघ कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकेगा, जिसका भुगतान 5 एवं 20 तारीख तक किया जावेगा।
26. मुख्य कार्यपालन अधिकारी को 30 दिन की पूर्व सूचना पर बिना कारण बताये अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा, इसी प्रकार वाहन ठेकेदार भी 90 दिन पूर्व सूचना देकर

अनुबंध समाप्त कर सकता है। परन्तु उनके वाहन में नियुक्त कर्मचारियों के अवैधानिक अथवा अपराधिक कार्यो में सन्निहित होने की दशा में अथवा पुष्टि होने पर बिना पूर्व सूचना के अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा और इन परिस्थितियों में दुग्ध संघ द्वारा किसी भी प्रकार की पूर्व सूचना नहीं दी जावेगी। ठेकेदार द्वारा इस अनुबंध पत्र की शर्तो का उल्लंघन करने की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अधिकार होगा कि वे बिना पूर्व सूचना दिये इस अनुबंध पत्र को निरस्त कर देवें। अनुबंध पत्र निरस्त करने की दशा म दुग्ध संघ को जो हानि होगी, उसकी समस्त जवाबदारी ठेकेदार की होगी।

27. स्वीकृत दर अनुबंध समाप्ति तक मान्य रहेगी, लेकिन अनुबंध अवधि में यदि डीजल दरों में कमी या वृद्धि होती है तो दर वृद्धि या कमी की प्रति कि.मी. गणना निम्नानुसार की जावेगी –

क्रमांक	**वाहन भार क्षमता**	**औसत प्रति कि.मी.**
1	1.2 से 1.5 टन तक भार क्षमता का वाहन	15 कि.मी.

इस प्रकार औसत प्रति कि.मी. डीजल दर वृद्धि/कमी से राशि की गणना तद्नुसार वाहन की दर में वृद्धि/कमी दिनांक से प्रति कि.मी. कमी/वृद्धि की जावेगी। डीजल के अतिरिक्त स्पेयर्स पार्ट्स, आईल, टायर ट्यूब एवं करों आदि में वृद्धि होने पर अनुबंधित दरों में वृद्धि नहीं की जावेगी।

28. अनुबंधित वाहन पर चालक या सहायक ठेकेदार द्वारा नियुक्त उसके स्वयं के निजी कर्मचारी होगें तथा इन कर्मियों के संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम या कर्मचारो क्षतिपूर्ति अधिनियम अथवा अन्य कोई उसी प्रकार के अधिनियमों के अंतर्गत होने वाली जिम्मेदारी का दायित्व अनुबंधकर्ता स्वयं का होगा एवं इसका रिकार्ड तथा कटौत्रा का लेखा–जोखा वाहन ठेकेदार स्वंय को ही रखना होगा।
29. अनुबंधित वाहन की क्षमता से कम क्षमता वाला वाहन चलाने पर अनुबंधित दर से 10 प्रतिशत का कटौत्रा किया जावेगा।
30. वर्णित कार्य के लिए उज्जैन से इन्दौर, मंदसौर, रतलाम, शाजापुर, शामगढ़, मनासा आदि ग्रामीण स्थानो पर वाहन को जाना पड़ेगा। माह में लगभग 5 दिवस रूकने के दौरान रात्रि विश्राम करना पड़ेगा। इस हेतु पृथक से किसी प्रकार का भत्ता/व्यय देय नहीं होगा।
31. वाहन दुग्ध संघ के कार्य में संलग्न होने पर पुलिस, आर.टी.ओ. अथवा किसी अन्य विभाग आदि द्वारा वाहन रोका जाता है अथवा किसी नियम के अंतर्गत रोका जाता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी। अन्य वाहन की व्यवस्था तुरंत कर संघ कार्य को निरन्तर रखने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
32. ठेकेदार द्वारा यह सुनिश्चित् हो कि अनुबंधित वाहन की नियमित सर्विसिंग होवे एवं अनुरक्षण के अभाव में दुर्घटना या खराबी उत्पन्न न हो।

33. विवाद होने की स्थिति में समस्त न्यायालयीन कार्यवाही का कार्यक्षेत्र उज्जैन रहेगा।

मैं .... द्वितीय पक्षकार अनुबंध शर्तो का अवलोकन भलीभॉति एवं होशोहवास में कर लिया है एवं निम्न साक्षियों के समक्ष प्रथम पक्ष से अनुबंध करता हूॅ।

नोटः– उपरोक्त अनुबंध पत्र अधोहस्ताक्षरी द्वारा निविदा के मूल प्रपत्र से अवलोकन कर सत्यापन किया गया।

प्रभारी (कृ.ग. कक्ष)
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ उज्जैन

प्रथम पक्ष	**द्वितीय पक्ष**
मुख्य कार्यपालन अधिकारी	**हस्ताक्षर अनुबंधकर्ता**
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ	**नाम ––––––––––––––––––––––**
मर्यादित, उज्जैन	**पिता/पति का नाम ––––––––––––**
	पता ––––––––––––––––––––––
	दूरभाष क्रं.–––––––––––––––––––
	मोबाईल नम्बर –––––––––––––––––
	स्थाई लेखा संख्या पेन–––––––––––––
	आधार कार्ड नम्बर ––––––––––––––––––

अनुबंधकर्ता जमानतदार का नाम एवं हस्ताक्षर	**अनुबंधकर्ता गवाह का नाम एवं पता**
01. हस्ताक्षर –––––––––––––––––	01. हस्ताक्षर –––––––––––––––––
नाम –––––––––––––––––––	नाम –––––––––––––––––––––––
पता –––––––––––––––––––	पता–––––––––––––––––––––––––
मो0 नं. –––––––––––––––––	मो0 नं.–––––––––––––––––––––––
आई.डी. प्रूफ ––––––––––––––	आई.डी. प्रूफ –––––––––––––––––––
02. हस्ताक्षर –––––––––––––––––	02. हस्ताक्षर –––––––––––––––––
नाम ––––––––––––––––––––	नाम–––––––––––––––––––––––––
पता ––––––––––––––––––––	पता–––––––––––––––––––––––––
मो0 नं.––––––––––––––––––––	मो0 नं.–––––––––––––––––––––––
आई.डी. प्रूफ ––––––––––––––––	आई.डी. प्रूफ –––––––––––––––––––
आधार कार्ड ––––––––––––––	आधार कार्ड ––––––––––––––––––

(नोट – निविदाकार इस प्रोफार्मा को पूर्ण भरकर स्केन कर तकनीकी बिड के रूप में अपलोड करेगें।)

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन

निविदा प्रस्तुतकर्ता का पासपोर्ट साईज

विषय :– तरल नत्रजन परिवहन बाबत्।

महोदय,

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन द्वारा प्रकाशित सूचना को एवं इस दस्तावेज को भली–भांती पढ़ व समझ लिया है। यह दस्तावेज मेरे द्वारा डाउनलोड किया है।

1. मैं इस दस्तावेज की शर्तो व नियमों के पालन के लिये सहमत हूँ।
2. उज्जैन दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों पर तरल नत्रजन एवं फ्रोजन सीमन प्रदाय एवं दुग्ध संघ के निर्देशानुसार अन्य सामग्री परिवहन कार्य हेतु दर भर रहा/रही हूँ।
3. मेरा विवरण निम्नानुसार है –

क्रं.	विवरण	विवरण
01	निविदाकार का पूरा नाम	
02	पिता का नाम	
03	पता –	
04	मोबाईल नम्बर –	
05	ई–मेल –	
06	प्रस्तुत वाहन का प्रकार	
07	वाहन का मॉडल वर्ष	
08	वाहन का पंजीयन क्रमांक	
09	वाहन की क्षमता	
10	वाहन पॉलिसी नंम्बर	
11	तकनीकी बिड के साथ ऑनलाईन जमा की गई वांछित अर्नेस्टमनी का रसीद नम्बर	
12	निविदाकार का आयकर स्थायी खाता क्रमांक	
13	नवीन वाहन क्रय हेतु शपथ–पत्र	
14	निविदा फार्म क्रय किये जाने/वेबसाईट से डाउनलोड किये जाने की स्थिति में निविदा फार्म के मूल्य की मनी रसीद/ड्राफ्ट विवरण	बैंक ड्राफ्ट/मनी रसीद का नम्बर जारी करने वाले बैंक/कार्यालय का नाम दिनांक राशि

1. क्या आपकी गत वर्ष में अमानत/प्रतिभूति राशि परिवहन निविदा अंतर्गत राजसात की गई है। यदि हॉ तो विवरण दें। हॉ/नहीं
2. क्या आपको दुग्ध संघ द्वारा निविदा भरने या कार्य से प्रतिबंधित किया गया था। हॉ/नहीं
3. काली सूची (ब्लेक लिस्टेड) शपथ पत्र, नया वाहन निर्धारित क्षमता का क्रय हेतु शपथ पत्र, उज्जैन दुग्ध संघ उज्जैन में मेरा कोई भी अधिकारी/कर्मचारी नजदीकी रिश्तेदार नहीं है का शपथ पत्र एवं उत्तराधिकारी का शपथ पत्र नोटरी करवाकार ई–निविदा के साथ स्केन कर ऑनलाईन अपलोड करें।

यदि दुग्ध संघ द्वारा मुझे LN2 परिवहन कार्य सौपा जाता है तो मैं निर्धारित अवधि में नियमानुसार प्रतिभूति राशि जमा करके अनुबंध करने के लिये पूर्णतः सहमत हूँ।

मैं यह शपथपूर्वक घोषणा भी करता/करती हूँ कि मुझे किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/शासकीय एजेन्सी ने निविदा प्रस्तुती की दिनांक तक काली सूची में दर्ज नहीं किया है। संबंधित संस्था की आगामी, निविदा में भाग लेने से वंचित नहीं किया है। यदि उपरोक्तानुसार शपथ में जानकारी असत्य/त्रुटिपूर्ण पाई जाती है तो मेरी निविदा निरस्ती योग्य होगी। मैं इसके द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि निविदा फार्म तथा उसके साथ संलग्न परिशिष्टों में की गई प्रविष्टियॉ मेरे पूर्ण विश्वास एवं ज्ञान में सही है एवं इस हेतु मैं पूर्णतः उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

निविदाकार के हस्ताक्षर

नाम – ....

पता – ....

शपथ–पत्र (100.00 रू.) नोटरी द्वारा

नया वाहन निर्धारित क्षमता का क्रय हेतु शपथ पत्र का प्रारूप

नाम	:–	–––––––––––––––––––––––––––
पिता	:–	–––––––––––––––––––––––––––
उम्र	:–	–––––––––––––––––––––––––––
धंधा	:–	–––––––––––––––––––––––––––
निवासी	:–	–––––––––––––––––––––––––––
आधार नं.	:–	–––––––––––––––––––––––––––
मोबाईल नं.	:–	–––––––––––––––––––––––––––

मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा तरल नत्रजन परिवहन की ई–निविदा ऑनलाईन जमा की गई है यदि संघ द्वारा मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं आवेदन अनुसार निर्धारित क्षमता का वाहन 15 दिवस में उपलब्ध कराऊंगा।

यदि मेरे द्वारा समय–सीमा में वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो मेरे द्वारा जमा की गई अर्नेस्टमनी राशि राजसात होती है तो उसमें मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं रहेगी।

दिनांक –

स्थान – **हस्ताक्षर शपथग्रहिता** ––––––––––

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि शपथ पत्र में उल्लेखित समस्त तथ्य मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास से सत्य एवं सही है। इसमें कुछ भी असत्य नही लिखाया है और न ही कोई तथ्य छिपाया है।

दिनांक –

स्थान – **हस्ताक्षर शपथग्रहिता** ––––––––––

<u>शपथ–पत्र (100.00 रू.) नोटरी द्वारा</u>

<u>उज्जैन दुग्ध संघ में मेरा कोई भी अधिकारी/कर्मचारी नजदीकी रिश्तेदार नहीं है का शपथ पत्र का प्रारूप</u>

नाम :– ——————————————

पिता :– ——————————————

उम्र :– ——————————————

धंधा :– ——————————————

निवासी :– ——————————————

मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि मेरा कोई भी सगा संबंधि व रिश्तेदार उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन में किसी भी पद पर कार्यरत नही है। जिसके संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत है।

दिनांक –
स्थान – उज्जैन **हस्ताक्षर शपथग्रहिता** ——————

<u>सत्यापन</u>

मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि शपथ पत्र में उल्लेखित समस्त तथ्य मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास से सत्य एवं सही है। इसमें कुछ भी असत्य नही लिखाया है और न ही कोई तथ्य छिपाया है।

दिनांक –
स्थान – उज्जैन **हस्ताक्षर शपथग्रहिता** ——————

शपथ–पत्र (100.00 रू.) नोटरी द्वारा

काली सूची (ब्लेक लिस्टेड) शपथ–पत्र का प्रारूप

नाम :– ——————————————

पिता :– ——————————————

उम्र :– ——————————————

धंधा :– ——————————————

निवासी :– ——————————————

मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि मध्य प्रदेश के किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था एवं अन्य दुग्ध संघों द्वारा मुझे ब्लेक लिस्टेड (काली सूची) नही किया गया है। जिसके संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत है।

दिनांक –
स्थान – **हस्ताक्षर शपथग्रहिता** ——————

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि शपथ पत्र में उल्लेखित समस्त तथ्य मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास से सत्य एवं सही है। इसमें कुछ भी असत्य नही लिखाया है और न ही कोई तथ्य छिपाया है।

दिनांक –
स्थान – **हस्ताक्षर शपथग्रहिता** ——————

शपथ–पत्र (100.00 रू.) नोटरी द्वारा

उत्तराधिकारी शपथ–पत्र का प्रारूप

नाम :– ————————————

पिता :– ————————————

उम्र :– ————————————

धंधा :– ————————————

निवासी :– ————————————

मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि मैं अपना वारिस श्री/श्रीमती .... संबंध .... उम्र ....' को पूर्ण होशोहवास में नामांकित घोषित करता हूँ। मेरी मृत्यु या मेरी पूर्ण अपंगता श्री/श्रीमती .... को संघ से समस्त व्यवहार करने का अधिकार रहेगा। जिसके संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत है।

दिनांक –
स्थान – **हस्ताक्षर शपथग्रहिता ——————**

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि शपथ पत्र में उल्लेखित समस्त तथ्य मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास से सत्य एवं सही है। इसमें कुछ भी असत्य नही लिखाया है और न ही कोई तथ्य छिपाया है।

दिनांक –
स्थान – **हस्ताक्षर शपथग्रहिता ——————**

दर निविदा प्रपत्र

(केवल ऑनलाईन अपलोड हेतु)

निविदाकर्ता का नाम/फर्म का नाम ....

क्रमांक	**वाहन भार क्षमता**	**मात्रा**	**दर रू. प्रति कि.मी. (टोल टेक्स सहित)**
01	1.2 से 1.5 टन तक भार क्षमता का वाहन (मॉडल वर्ष 2020 अथवा नवीनतम वर्ष का मान्य)	**01**	

दिनांक –

हस्ताक्षर

नाम ——————————

मो.न. ——————————